वार्षिक प्रतिवेदन

2014-15

Multi Art Association (MAA)

-: Regd. Office :- Maa Bhawan Panki, Road, Redma, Daltongnaj, Palamu

Head office / Mailing Address :– H.No. – 153/A/1, Street :- Budhandih, Near Bazar Samiti, Sudna, Daltonganj, Palamu, Jharkhand-822102, Mob. No.- 09431193202, 09852910778

वार्षिक प्रतिवेदन 2014–2015

–: संस्था का विजन (दृष्टि) :–

दलित आदिवासी, महिलाओं और बच्चों सहित समाज के कमजोर वर्ग को षिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और आजीविका से जोड़ कर एक टिकाऊ विकास की परिकल्पना करना, जिससे कि पर्यावरण, भाषा–संस्कृति, रीति–रिवाज, समाजिक संरचना, मौलिक अधिकार और मानवीय मूल्यों की रक्षा हो सके और स्वस्थ्य समाज की स्थापना किया जा सके।

संस्थागत कार्यक्रमों की पृष्ठभूमि

मल्टी आर्ट एसोसिएषन सोसाइटी रजिस्ट्रेषन एक्ट की धारा 21, 1860 के तहत् निबंधित एक गैर सरकारी संस्था है। संस्था निर्माण काल से ही पलामू प्रमण्डल सहित पूरे झारखंड में समाज के दबे कुचले वर्ग के लिए काम करती आ रही है। उनके हक व अधिकार के प्रति लोगों को सजग कर रही है। इसके साथ ही संस्था सरकार द्वारा समन्वय स्थापित कर सरकारी कार्यक्रमों को बेहतर बनाने तथा उसका समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम करती रही है। पलामू प्रमंडल जैसे सुखाग्रस्त इलाकों में आजीविका के लिए लोगों को काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। उसी संघर्ष से निबटने के लिए संस्था द्वारा आजीविका सुनिष्चित कराने की दिषा में प्रयास शुरू किया गया है। उन्हीं प्रयासों के तहत् लातेहार जिले के मनिका, बरवाडीह, गारू और महुआडांड प्रखंड के करीब 10 गांवों में लाह की खेती को बढ़ा देने उदेष्य से लाह विकास कार्यक्रम की शुरूआत की गयी। वहीं दूसरी ओर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, ग्राम सभा सषक्तिकरण, वन अधिकार कानून, सूचना के अधिकार अधिनियम, खाद्य सुरक्षा जैसे मामलों को लेकर संस्था जिला से लेकर राज्य स्तर पर एडवोकेसी करते हुए बेहत्तर विकास का वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। संस्था जन मुद्दों को मीडिया व अन्य संचार माध्यमों के द्वारा समय–समय पर उजागर करते रही है। दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए अनुसूचित जाति उप योजना और अनुसूचित जनजाति उपयोजना के प्रचार कर उनके प्रावधानों को बजट के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास शुरू किया है। षिक्षा अधिकार कानून के प्रावधानों को लोगों तक पहुंचाकर बच्चों के षिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करने का प्रयास करते आ रही है।

संस्था के बारे में

- संस्था का नाम : मल्टी आर्ट एसोसिएशन।
- निबंधित कार्यालय : माँ भवन, पाँकी रोड, रेड़मा, मेदिनीनगर, पलामू (झारखण्ड)
- पत्रचार एवं/मुख्य कार्यालय : म0 सं0 153/अ/1, मुहल्ला- बुधनडीह, सुदना नियर बाजार समिति, सुदना, डालटनगंज, पलामू, झारखंड–822102
  E-mail-maa.palamu@gmail.com
  www. maango.org
- संस्था का निबंधन : सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860/177/2007–08
- निबंधन संख्या : 177/2007–08
- पैन संख्या : **AACTM9265D**
- **12A** प्रमाण पत्र संख्या : **12A-79/2010-11/2153-60**
- **FCRA No.** : 337790038
  FCRA बैंक खाता संख्या :– 30774140433
  शाखाः–भारतीय स्टेट बैंक, कृषि विकास शाखा, डालटनगंज
- सामान्य बैंक खाता संख्या : 1. खाता संख्या–32401106459
  शाखा:– भारतीय स्टेट बैंक, कृषि विकास शाखा, डालटनगंज
  2. खाता संख्या–12588104000016940
  शाखाः– **IDBI Bank ,** डालटनगंज शाखा।
- खाता संचालन : अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किसी दो के संयुक्त हस्ताक्षर से जिसमें कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर अनिवार्य है।

संस्था की कार्यकारिणी समिति

क्र.सं.	नाम	पता	शैक्षणिक योग्यता	पद
1.	जितेंद्र सिंह	ग्राम–चेतता, पो. रौंकी कला थाना मनिका, जिला–पलामू	आई.टी.आई	अध्यक्ष
2.	मिथिलेष कुमार विष्वकर्मा	नियर, बाजार समिति, सुदना, डालटनगंज, पलामू, झारखंड	एम.ए.आर.डी.	सचिव
3.	जेम्स हेरेंज	ग्राम–चीरो, पो0 + थाना–चंदवा जिला– लातेहार	आई.टी.आई	कोषाध्यक्ष
4.	सुमंती कुजूर	ग्राम–सरनाडीह, पो0 -बेराकरवा थाना–महुआडांड, लातेहार	आई. ए	सदस्य
5.	नीलम खलखो	ग्राम–तम्बोली नवाडीह पो0–बेराकरवा थाना–महुआडांड, लातेहार	बी.ए	सदस्य
6.	संतोष कुमार	ग्राम–बारालोटा, पो0 जीएल कॉलेज, डालटनगंज, पलामू	बी.कॉम	सदस्य
7.	वीरेंद कुमार	ग्राम–गुड़वा, पो0 कांककला थाना–पाटन, जिला पलामू	ग्रेजुएट	सदस्य

आच्छादित जिला, प्रखण्ड एवं गांव

क्र.स	जिला	प्रखंड	गांव की संख्या	कार्यक्रम
1.	लातेहार	बरवाडीह, मनिका, गारू और महुआडांड	130	सीएफटी, वनाधिकार, नरेगा सहायता केंद्र, लाह की खेती, जनसंगठन व नेटवर्क कार्यक्रम का संचालन
2.	पलामू	मनातू, चैनपुर, रामगढ़, सतबरवा, डालटनगंज, लेस्लीगंज, पांकी और तरहसी	40	लाह की खेती, वनाधिकार कानून, शिक्षा अधिकार कानून में 25 प्रतिशत बजट कैंपने के साथ जनसंगठन व नेटवर्क कार्यक्रम
3.	गढ़वा	मेराल व भंडरिया	15	लाह की खेती, जन संगठन व नेटवर्क कार्यक्रम

मानव संसाधनन	पुरूष	महिला	कुल	भौतिक संसाधन	संख्या
कार्यालय स्टॉफ फुल टाईम	2	1	3	कार्यालय भवन (मनिका एवं बरवाडीह)	2
फिल्ड स्टॉफ फुल टाइम पार्ट टाईम	36	18	54	डिजीटल कैमरा	4
कॉडिनेटर	2	9		कम्प्युटर व लैपटॉप	4+6
				विडियो कैमरा	1
				मोटरसाईकिल	2

संस्था के जीविकोपार्जन व अन्य मुद्दे

- नरेगा सहायता केन्द्र के माध्यम से मनरेगा के बेहत्तर क्रियान्वयन हेतु हस्तक्षेप एवं जनवकालत।
- सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार व वनाधिकार सहित सभी अधिकार के लिए बने कानूनों का प्रचार प्रसार, हस्तक्षेप व जनवकालत।
- किसान समूहों के माध्यम से लाह की खेती।
- श्री विधि से धान की खेती
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु हस्तक्षेप एवं जनवकालत।
- गांव व स्वच्छ व स्वास्थ्य बनाने की परिकल्पना।
- शिक्षा, स्वास्थ्य व जागरूकता के लिए पहल।

नेटवर्क के अंतर्गत कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्यक्रम	नेटवर्क	मुद्दा	क्षेत्र
1	TSP and SCSP बजट कैंपेन	एन.सी.डी.एच.आर. नई दिल्ली	दलित व आदिवास उप योजना	पलामू, गढ़वा, लातेहार व झारखंड के अन्य जिले
2	RTE 25% कैंपेन	CSEI, New Delhi and JEWG, Jharkhand	शिक्षा कानून में कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए 25 प्रतिषत को लेकर प्रचार–प्रचार	पलामू, गढवा और लातेहार
3	वन भूमि पर सामुदायिक व व्यक्ति पट्टा को लेकर कैंपेन	झारखंड वनाधिकार मंच व कल्याण विभाग झारखंड, सरकार	वनाधिकार कानून के प्रावधान की जानकारी व जागरूकता	पलामू, गढवा व लातेहार
4	मनरेगा व भोजन के अधिकार अभियान को लेकर जनवकालत व जागरूकता कार्यक्रम	नरेगा वॉच, झारखंड भोजन के अधिकार अभियान, झारखंड	मनरेगा व भोजन के अधिकार कानून व सामाजिक के सुरक्षा योजनाएं	पलामू, गढ़वा और लातेहार

हमारे कार्यक्रम

वैज्ञानिक तरीके से लाह की खेती

आई0टी0डी0ए0, लातेहार द्वारा संस्था मल्टी आर्ट एसोसिएशन को वैज्ञानिक तरीके से लाह की खेती एवं उत्पादित लाह की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु लातेहार जिला के दो प्रखंड गारू और महुआडांड में पीआई के रूप में नियुक्त किया गया। संस्था द्वारा कार्यक्रम की शुरूआत करते हुए दोनों प्रखंडों में लाह खेती के लिए 150 150 परिवार, पंचायत, गांव, मास्टर ट्रेनर का चयन किया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत नामकूम आईएनआरईजीए में मास्टर ट्रेनरों का प्रषिक्षित किया गया है। इसके साथ ही साथ महुआडांड़ व गारू प्रखण्ड में करीब 400 से अधिक किसानों को लाह का प्रषिक्षण दिया गया। लाह उत्पादन कार्यक्रम का प्रगति प्रतिवेदन इस प्रकार है :–

लाह बीज फार्म :– लाह उत्पादन कार्यक्रम के तहत गारू प्रखंड में मायापुर पंचायत अंतर्गत मायापुर गांव और महुआडांड़ प्रखंड के अक्सी पंचायत अंतर्गत बेरामा गांव में लाह बीज फार्म की स्थापना की गयी है। इस लाह बीज

काम के संचालन हेतू दोनों जगहों पर लाह बीज उत्पादन समिति का गठन किया गया। लाह बीज उत्पादन समिति के माध्यम से दोनों लाह बीज उत्पादन केंद्र में 200 पेड़ों पर लाह चढ़ाया गया है।

लाह बीज उत्पादन केंद्रों का विवरण

क्र.सं	प्रखंड	पंचायत	गांव	किसान का नाम	पेड़ों की संख्या	ब्रुड लाह उत्पादन समिति का नाम
1.	महुआडांड	अक्सी	चेतमा	कमलचन्द कुजूर	25	लाह उत्पादन समिति, चेतमा
				तोफर किन्डों	7	
				बल्कु मिंज	4	
				कोर्नेलियुस कुजूर	15	
				पंखरासियूस लकड़ा	9	
2.	गारू	मायापुर	मायापुर	विपिन किशोर मिद्ध	40	लाह उत्पादन समिति, मायापुर
				सुशिल कुजूर	15	
				संजय लोहरा	5	
				पंखरासियुस टोप्पो	12	
				अनुज तिर्की	30	

मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण :— चयनित गांव में 12 मास्टर ट्रेनरों का प्रषिक्षण दो बैच में दिया गया है। प्रथम चरण में 10 और दूसरे बैच में 2 मास्टर ट्रेनरों को प्राकृतिक रॉल व गोंद संस्थान, नामकुम (रांची) में एक सप्ताह का प्रषिक्षण दिया गया है। प्रषिक्षण प्राप्त करने के बाद मायापुर व चेतमा में प्रशिक्षित प्रषिक्षकों की देख–रेख में ब्रुड लाह बीज उत्पादन केंद्र षुरू किया गया है।

प्रशिक्षण :— वैज्ञानिक तरीके से लाह की खेती को बढ़ावा देने के लिए आईआईएनआरईजी नामकुम (रांची) द्वारा प्रषिक्षित मास्टर ट्रेनरों व संस्था के ट्रेनरों द्वारा गारू व महुआडांड प्रखंड के चयनित सभी गांवों में 300 किसानों को प्रषिक्षण दिया गया। लाभुक किसानों को सबसे पहले अप्रैल व मई माह में पलास और बैर के पेड़ों की छंटाई के लिए वैज्ञानिक तरीके बताये गये और पेड़ छंटाई से लाह उत्पादन में पड़ने वाले अंतर को बताया गया। इसके बाद किसानों को प्रायोगिक तौर पर पेड़ों की छाटाई की जानकारी दी गयी। इसके साथ ही किसानों को लाह को चढ़ाने सहित अन्य पहलुओं की जानकारी दी गयी। दूसरे चरण का प्रषिक्षण भी करने का निर्णय लिया गया। पेड़ छंटाई से होने वाले फायदा की जानकारी देते हुए संस्था के प्रमुख साथी मिथिलेष कुमार ने बताया कि लाह के अच्छे फसल को लेने के लिए पलास, बैर तथा कुसुम के पेढ़ों की छंटाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेढ़ की छंटाई करने से नये और कोमल टहनियां निकलती है, जिससे लाह कीट को पोषक तत्व व भोजन प्रचुर मात्रा में मिलता है, जिससे लाह की अच्छी फसल होती है। इसके साथ ही लाह उत्पादन से जुड़ी कई अन्य जानकारी किसानों को दी गयी।

महुआडांड प्रखंड अंतर्गत चेतमा और दुरूप पंचायत के चयनित गांवों में 24 से 29 अप्रैल तक विभिन्न गांवों में 150 से अधिक किसानों का लाह की खेती के लिए प्रथम चरण का प्रषिक्षण दिया गया। वहीं गारू प्रखंड के मायापुर व

बरवाडीह के चयनित गांवों में 23 अप्रैल से प्रशिक्षण की शुरुआत की गयी। प्रशिक्षण में चयनित किसानों के अलावे अन्य ग्रामीणों ने भी भाग लिया।

अन्य क्षेत्रो में लाह की खेती

ग्रामीणों के आजीविका संसाधन को मजबूत करना **मल्टी आर्ट एसोसिएशन** संस्था का मुख्य उद्देश्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए **एस.पी.डब्लू.डी.** रांची के सहयोग से लातेहार जिले के मनिका प्रखंड अंतर्गत जेरूआ और जगतू दोनों गांवों में करीब 55 किसानों के बीच 305 पलास व बैर के पेड़ पर लाह की खेती प्रारंभ की गयी थी। संस्था प्रथम वर्ष में पलास के पेड़ों पर लाह बीज का उत्पादन करना चाहती थी, ताकि पुनः लातेहार जिले के मनिका इलाके में लाह उत्पादन को बढ़ाया जा सके। वर्ष 2014 में संस्था द्वारा लाह खेती को विस्तारित रूप देते हुए पलामू के मनातू में बीज लाह से करीब 3 क्विंटल लाह का उत्पादन कर मनातू के विभिन्न किसानों ने एक नई पहल शुरू की है। इसके अलावे संस्था द्वारा लातेहार के बरवाडीह व मनिका प्रखंड में लाह की खेती को विस्तार करने का प्रयास किया है। इस क्षेत्र में संस्था हमेशा किसानों के साथ मिलकर लाह उत्पादन के लिए सरकार व अन्य सहयोगी संगठनों से सहयोग लेकर लाह की खेती को बढ़वा देने के लिए प्रयासरत है।

ST/ SC जागरूकता

उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, पलामू के कल्याण शाखा द्वारा स्वयं सेवी संस्था मल्टी आर्ट एसोसिएषन को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) 1989 एवं नियम 1995 अधिनियम के प्रावधानों के प्रचार–प्रसार के लिए पत्रांक 252 (II)/क मेदिनीनगर दिनांक 26 मार्च 2015 को आदेष निर्गत किया गया। कार्यादेष के आलोक में संस्था द्वारा अधिनियम का प्रचार पलामू जिला के 16 प्रखंडों में किया गया। इस प्रचार–प्रसार के माध्यम से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को नुकड़ नाटक, पोस्टर तथा पम्फलेट के माध्यम से जागरूक किया गया। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून 1989 एवं नियम 1995 को आदिवासी व दलित समुदाय के बीच प्रभावकारी बनाने के लिए प्रसार–प्रचार के साथ नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। जारुकता अभियान पलामू जिला 16 प्रखंडों मुख्यालयों में किया गया।

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम को लेकर नुक्कड़ नाट का मंचन :– अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम की जानकारी आदिवासी व दलित समुदाय तक पहुंचाने के लिए **"अधिकार"** नामक नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। नाटक के माध्यम से आदिवासी व

दलित समुदाय पर हो रहे अत्याचार व उससे अधिनियम के तहत् कैसे अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकेंगे इसके बारे विस्तार पूर्वक अधिनियम के सभी पहलुओं को बताया गया।

CFT- MGNREGA कार्यक्रम

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, JSLPS तथा एस.पी.डब्लू.टी के सहयोग से लातेहार जिला के मनिका व बरवाडीह प्रखंड में CFT-MGNREGA कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मनरेगा कानून में मजदूरों को मिले अधिकारों को सुनिश्चित कराने के लिए जिला एवं प्रखंड प्रशासन को सहयोग कर मनरेगा को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रही है। संस्था द्वारा इस कार्यक्रम के तहत ग्राम स्तर पर ग्रामीणों के सहयोग से मनरेगा के अंतर्गत् योजनाओं का चयन के साथ योजनाओं का अनुश्रवण किया जा रहा है, ताकि मनरेगा को बेहत्तर बनाया जा सके। संस्था द्वारा बरवाडीह व मनिका प्रखंड के विभिन्न गांवों में मनरेगा कानून के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने का भी काम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत् चलायी जाने वाली विभिन्न गतिविधियां इस प्रकार है।

मजदूर समूहों का गठन :– लातेहार जिला के मनिका और बरवाडीह प्रखंड के विभिन्न गांवों में 10 से 15 नरेगा मजदूरों को मिलाकर 61 मजदूर समूह का गठन किया गया। इन मजदूरों को प्रषिक्षित कर मनरेगा के प्रदत्त अधिकार जैसे काम की मांग, बकाया मजदूरी सहित अन्य समस्याओं को लेकर मनरेगा मजदूर ग्रुप के माध्यम से ठीक करने की कोषिष की जा रही है, ताकि सही समय पर मनरेगा मजदूरों को मजदूरी का भुगतान हो सके।

महिला समूहों का गठन व प्रशिक्षण :– मनरेगा में महिला मजदूरों के भागिदारी को बढाने के लिए बरवाडीह व मनिका में सीएफटी अंतर्गत आनेवाले गांवों में तीन–तीन महिला समूहों को जोड़ा गया है। इन समूह से 74 महिला मेट को चिन्हित किया गया। इन चिन्हित महिला मेटों को प्रषिक्षण देकर उन्हें मनरेगा के अंतर्गत संचालित योजनाओं में लगाया गया ।

प्रशिक्षण, प्लानिंग प्रक्रिया और ग्राम सभा :– सीएफटी के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों में संस्था के सभी स्टॉफ को प्लानिंग व ग्राम सभा संचालन के लिए बेहत्तर प्रषिक्षण दिया गया। स्टॉफ के सहयोग से मनिका और बरवाडीह में 37 गांवों में ग्राम सभा के माध्यम से करीब 3588 योजनाओं का चयन किया गया। जिसमें गांव के अति कमजोर वर्ग व महिलाओं को ध्यान में रखकर योजनाओं का चयन किया गया। इस योजना चयन प्रक्रिया में सामाजिक, संसाधन व मौसमी मानचित्र के माध्यम से गांवों के पुराने व आधारभुत संरचना को ध्यान में रखकर प्लानिंग तथा श्रम बजट का निर्धारण कराया गया और ग्राम सभा के द्वारा 3588 योजनाओं को चयन किया गया, जिसमें सबसे अधिक बकरी, मुर्गी, पषुपलन शेड का चयन किया गया है। इसके साथ ही साथ

गांव में सभी मौजूद संसाधन का जीपीएस प्वाइंट लिया गया, ताकि मनरेगा कानून उसे ठीक से लागू किया जा सके।

निबंधन, काम मांगो अभियान एवं जागरूकता कार्यक्रम :— मनरेगा मजदूरों को संगठित कर काम मांगों की अभियान की षुरूआत की गयी। काम मांगों अभियान व मजदूरों में जागरूकता पैदा कर मनिका व बरवाडीह प्रखंड में करीब 1448 परिवारों ने काम का डिमांड किया और उन्हें विभिन्न योजनाओं में काम का आवंटन किया गया। इसके साथ ही साथ करीब 100 परिवारों को नये जॉब कार्ड के लिए पंजीकृत कराया गया। इसके अलावे पोस्ट ऑफिस के खाता को बैंक में खोलने के लिए संस्था को नरेगा मजदूरों को सहयोग की गयी। कई नरेगा मजदूरों के जॉब कार्ड को आधार कार्ड से लिंक भी कराने के लिए जनवकालत किया गया।

सामाजिक अंकेक्षण :— जेएसएलपीएस के सहयोग से संस्था के प्रतिनिधियों ने पायलट सोसल ऑडिट की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सहयोग किया गया। इसके साथ ही साथ लातेहार के मनिका और कोडरमा जिला के मरकच्चो प्रखंड में पायलट सोसल ऑडिट की प्रक्रिया को सफल बनाने में सहयोग किया गया।

नरेगा सहायता केंद्र :— मनिका व बरवाडीह प्रखंड मुख्यालय परिसर में जिला प्रषासन के सहयोग से नरेगा मजदूरों को सहयोग करने के लिए नरेगा सहायता केंद्र का संचालन किया जाता है। नरेगा मजदूरों के सभी तरह के षिकायत को संग्रह कर प्रखंड, जिला व राज्य सरकार के साथ मिलकर जनवकालत कर समस्याओं के समाधान की कोषिष की जाती रही है। मनरेगा सहायता केंद्र व मनरेगा मजदूरों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है।

जननी सुरक्षया योजना को लेकर सामुदायिक अंकेक्षण कार्यक्रम

झारखंड में दलित व आदिवासी समुदाय के महिलाओं के स्वास्थ्य की हालत ठीक नहीं है, सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए षुरू की गयी जननी सुरक्षा योजना की स्थिति ठीक नहीं है, ये चौंकाने वाले तथ्य उस समय पता लगा, जब आरटीआई से मिले दस्तावेज के आधार पर पलामू जिलान्तर्गत सतबरवा प्रखंड के पोंची और रबदा गांव में 29 और 30 मार्च 2015 को जननी सुरक्षा योजना को लेकर सामुदायिक ऑडिट की गयी। प्रतिवेदित सामुदायिक ऑडिट के अनुसार जिला स्वास्थ्य मिषन द्वारा जननी सुरक्षा योजना पर खर्च, तो किया जा रहा है, परन्तु इसका पूरा–पूरा लाभ गर्भवती महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है। सामुदायिक अंकेक्षण कार्यक्रम में एनसीडीएचआर के तारापद प्रधान, गल्टी आर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जीतेंद्र सिंह, एकल नारी संगठन से पूनम विष्वकर्मा, रबदा पंचायत के मुखिया प्रभा देवी, स्थानीय सहिया, स्वयं सहायता समूह के महिलाएं, लाभुक, ग्रामीण एवं सामाजिक कार्यकर्ता हेमन्त कुमार द्वारा सक्रियता से शामिल हुए।

सामुदायिक अंकेक्षण कार्यक्रम में सक्रियता महिलाओं को सहयोग करनेवाली सहियाओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला स्वास्थ्य मिषन के बीटीटी व प्रखंड प्रषिक्षक सहित कई स्वास्थ्यकर्मिओं ने भाग लिया और जननी सुरक्षा को लेकर सामुदायिक अंकेक्षण में भागीदारी निभाई। सामुदायिक सामाजिक अंकेक्षण की शुरूआत करते हुए स्वाधिकार, झारखंड के मिथिलेश कुमार के द्वारा स्वागत

करते हुए कहा गया कि आज यहां क्या करने और समझने के लिए आए हैं। सामाजिक संदर्भ में संस्थानिक घटनाओं को समझने और विस्तार एवं संप्रेषण की दिशा में लोगों को जननी सुरक्षा योजना के प्रावधान व उसकी स्थिति को जानने व समझने की जरूरत है।

कमजोर वर्ग के छात्र/छात्राओं को फोटोग्राफी व विडियो ग्राफी प्रशिक्षण

डालटनगंज शहर के विभिन्न मुहल्लों में रहने वाले छात्र–छात्रों को फोटोग्राफी का प्रषिक्षण दिया गया। 30 छात्र छात्राओं को फोटोग्राफी के विभिन्न पहलुओं यथा तकनीकी व सैद्धांतिक प्रषिक्षण दिया गया। इसके साथ ही साथ छात्र–छात्राओं को विडियोग्राफी व विडियो संपादन की तकनीक सहित सभी सैद्धांतिक पहलुओं की जानकारी दी गयी, जिससे कि छात्र–छात्राएं प्रषिक्षण के उपरान्त स्वरोजगार से जुड कर अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकें। फोटोग्राफी व विडियोग्राफी के प्रषिक्षण के बाद सभी छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर के साथ इंटरनेट उपयोग करने का तरीका सिखाया गया। इसके साथ ही साथ छात्र छात्राओं को सोसल साईट फेसबुक व ट्यूटर जैसे कई साईटों का उपयोग व उनके तकनीक की जानकारी दी गयी।

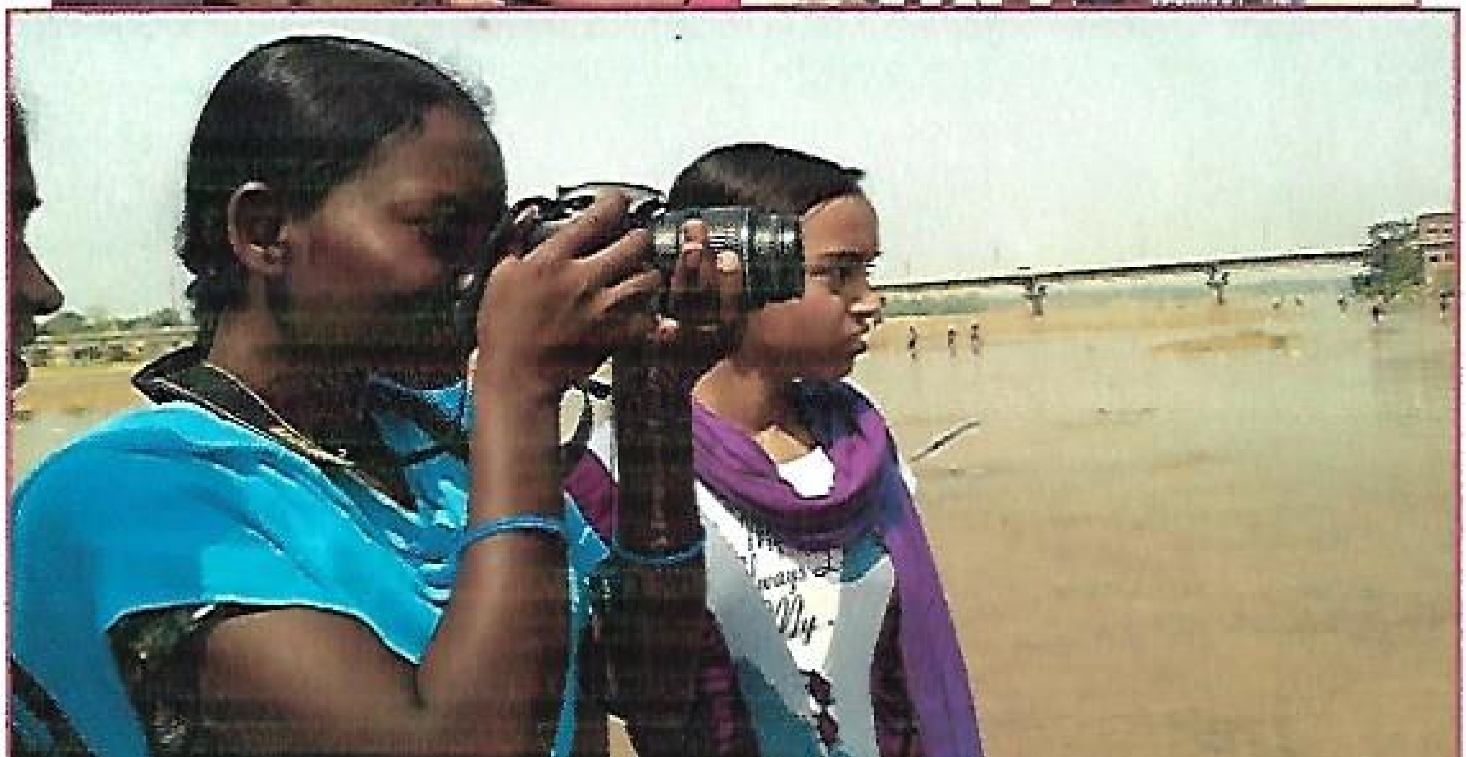

संस्था के अन्य गतिविधि / कार्यक्रम

- संस्था नरेगा, पानी, दलित आदिवासी व महिलाओं के समस्याओं को लेकर डक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। संस्था यह प्रयास करते हुए मुद्दा आधारित डक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से लोगों के हक व न्याय के लिए जारुक करें, इसके प्रयास के लिए हमेषा आगे करते रहेगी।
- संस्था आदिवासी, दलित व महिलाओं तथा बच्चों के अधिकार व आजीविका के लिए कार्यक्रम को लागू व संचालन करने का प्रयास करते आ रही है।
- संस्था द्वारा झारखंड में अनुसूचित जाति उप योजना और अनुसूचित जनजाति उप योजना के बारे में दलित व आदिवासी समुदाय के लोगों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का संचालन में अपने सहयोगी संस्था एनसीडीएचआर के सहयोग से झारखड के विभिन्न जिलों में व राज्य के अन्य इलाकों किया जा रहा है।
- वनाधिकार कानून को लागू कराने के लिए संस्था कल्याण विभाग के साथ व झारखंड वनाधिकार मंच के सहयोग से पांकी, लेस्लीगंज, मनातू, सतबरवा, डालटनगंज में जागरूकता कार्यक्रम के साथ वनाधिकार कानून को लागू कराने के लिए ग्राम सभा को जागरूक व उन्हें प्रषिक्षण देकर दावा पत्रों के सृजन के कामों में लगी हुई है। अब तक करीब 300 से अधिक दावा पत्रों का सृजन कराया जा चुका है।
- आदिम जनजाति को उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए समय–समय पर संस्था द्वारा जागरूकता तथा प्रषिक्षण व बैठक का आयोजन किया जाता है। इसके माध्यम से आदिम जनजाति परिवारों को उनके अधिकार व उसे हासिल करने के लिए कानूनी प्रावधानों की भी जानकारी संस्था द्वारा दी जाती रही है।
- यूआरआई के साथ जुड़ कर समाज में 'षांति व सद्भावना बनाए रखने के लिए संस्था हमेष प्रयास करते रही है।
- संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा मनरेगा, वनाधिकार कानून, सूचना का अधिकार अधिनियम तथा ग्राम सभा सषक्तिकरण को लेकर समुदाय के लोगों के बीच प्रषिक्षण व कार्यषाला का आयोजन किया जाता रहा है।
- मानव तस्करी के खिलाफ के संस्था जागरूकता कार्यक्रम के साथ बच्चों को उनके मा–बाप तक पहुचाने व मिलाने के लिए अपना एडभेकेसी कार्यक्रम मानव तस्करी के लिए काम करने वाले संगठनों के नेटवर्क कार्यक्रम का संचालन करते रही है।
- संस्थ महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों को लेकर प्रषिक्षण, कार्यषाला व अन्य कार्यक्रमों का संचालन करती रही है।

अन्य संगठन / सरकारी संस्थानों के साथ नेटवर्क

- रोजी–रोटी अधिकार अभियान (राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर)
- ग्राम स्वराज अभियान झारखण्ड (राज्य स्तर)
- झारखण्ड नरेगा वॉच (राज्य स्तर)
- इज्जत से जीने का अधिकार अभियान (जिला स्तर)
- भारतीय जननाट्य संघ (पलामू जिला स्तर)
- जिला प्रषासन लातेहार, पलामू एवं गढ़वा
- सर्ड एवं मनरेगा आयुक्त कार्यालय, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार

- राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, झारखण्ड सरकार
- साझा मंच और एकता परिषद।
- झारखंड वनाधिकार मंच

अकेक्षण रिपोर्ट 2014–2015